

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 61 / 2020

अन्तराम पुत्र रूघाराम जाति कुम्हार निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1. रूघाराम (रूगाराम) पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  2. राधेश्याम
  3. रामप्रताप
  4. लालचन्द
  5. महेन्द्र
- प्रतिवादीगण  
पि० रूघाराम जाति कुम्हार निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैल सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुभाषचन्द्र गर्ग प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी अन्तराम को चकनं० 3 आर डबल्यू डी के प०न० 222/352 मु० 34 किलानं० 17/2/.031 पश्चिमी दिशा, 24/2/.031 पश्चिमी दिशा, 18/1/.127, 23/1/.126, चकनं० 8 एजी के प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 1/.006 है० दक्षिणी दिशा, 2/.007 है० दक्षिणी दिशा, 9/.241 है०, 10/.113 है०, ख.प्रतिवादीसं० 2 राधेश्याम को चकनं० 3 आर डबल्यू डी के प०न० 222/352 मु० 34 किलानं० 17/2/.158, 24/2/.158, चकनं० 8 एजी के प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 1/.247, 2/.120 उत्तर दिशा, ग.प्रतिवादीसं० 3 रामप्रताप को चकनं० 8 एजी के प०न० 217/358 मु० 3 किलानं० 8/.027, 8/.010 पश्चिमी दिशा, 3/.013 पश्चिमी दिशा 12, 13, 18/.126 है०, घ.प्रतिवादीसं० 4 लालचन्द को चकनं० 8 एजी के प०न० 217/358 मु० 3 किलानं० 3/.240, 8/.216, प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 9/.012 दक्षिणी दिशा, 10/.013 दक्षिणी दिशा, 11/.137 उत्तरी दिशा, 12/.164 उत्तरी दिशा, ङ.प्रतिवादीसं० 5 महेन्द्र को चकनं० 8 एजी के प०न० 218/358 मु० 4 किलानं० 11/.062 है० व चक 5 आर डबल्यू डी के खाता सं० 38 में .631 है० के खातेदार काशतकार घोषित किये जाकर चकनं० 8 एजी के खातासं० 50 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम व चकनं० 3 आर डबल्यू डी के खाता सं० 43 व चकनं० 5 आर डबल्यू डी के खाता सं० 38 में से प्रतिवादीसं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.1.2020 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी